145/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 145/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A3

21—03—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 04.07.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः—

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर(सर्त0) श्रीगंगानगर के पत्रांक 2049 दिनांक 17.06.2016 आपके कार्यालय में पहुचने की तारीख एवं आरआईआर नम्बर की सूचना।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार एवं अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
3. पत्र प्राप्ति से प्रार्थी के आवेदन के निपटारे तक जो जो कार्यवाही जिस—जिस कर्मकार द्वारा की गयी उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.05.2015 को लगभग 50 पत्रो की मांगी गयी प्रमाणित प्रतिलिपि का पत्र गुम हो जाने के आधार पर कार्यालय द्वारा सर्च मे ममो निकाले जाने बाबत सूचना।
5. प्रार्थी के पत्र के गुम हो जाने पर उसके सम्बन्ध में एफआईआर दर्ज करवाने बाबत सूचना।
6. सर्च मेमों न निकाले जाने के नियम की सूची व प्रमाणित प्रतिलिपि।
7. सम्बधित कर्मकार श्री रणवीर सिंह व ओमप्रकाश पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र (नकल बाबत) गुमाने के आधार पर उनके विरूद्ध कार्यवाही जिस नियम के अधीन नही की उसकी सूचना ाव नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
8. प्रार्थी के पत्रांक 6204 दिनांक 14.06.2016 पर आप द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना।
9. प्रार्थी के पत्रांक 6204 दिनांक 14.06.2016 पर कार्यवाही न किये जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
10. आपके विभाग के अधिकारियो द्वारा जारी किसी पत्र मे पाबन्द जिस उद्धेश्य विषय वस्तु व अपराध के सम्बन्ध मे लिखा जाता है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
11. आपके विभाग के द्वारा जारी पत्र में पाबन्द शब्द का प्रयोग अपराध से सम्बधित प्रकरणो में किसी व्यक्ति से लिखा जाता है उस अपराध की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई 11 बिन्दुओ की सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 1755 दिनांक 06.10.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध उनके कार्यालय के पत्र सं0 816 दिनांक 14.07.2016 के सूचित किया गया है कि आप द्वारा जिस पत्र क्रमांक 2049 दिनांक 17.06.2016 के संबंध में सूचना चाही गई वह उनके कार्यालय में प्राप्त होना नही पाया जाता है। आप उक्त पत्र की चित्रित प्रति प्रस्तुत करें ताकि वांछित सूचनांए उपलब्ध करवाई जा सके, जो अपीलार्थी द्वारा आदिनांक तक उपलब्ध नही करवाई गई है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 816 दिनांक 14.07.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार लिखा गया हैः—

> **उपरोक्त विष्यान्तर्गत आप द्वारा 04 / 05.07.2016 को राज्य लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर को प्रेषित पत्र में उल्लेखित पत्र कंमाक 2049 दिनांक 17.06.2016 के सम्बन्ध में सूचना चाही है, उक्त इस कार्यालय में प्राप्त होना नही पाया गया है। अतः आप उक्त पत्र की छाया प्रति भिजवावें ताकि आपको वाछित सूचनाए उपलब्ध कराई जा सकें।**

लोक सूचना अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओ के संबंध में रजिस्टर्ड पत्र सं0 816 दिनांक 14.07.2016 से उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है। किन्तु अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 06.10.16 के अनुसार वांछित पत्र सं0 2049 दिनांक 17.06.2016 के बारे में न तो चाही गई जानकारी उपलब्ध करवाई है और न ही पत्र की प्रति प्रस्तुत की है जिससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अब कोई दिलचस्पी नही है। इसलिये अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर